संख्या- 12/2024/513/58-2024/1739047-2024

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2024

विषयरू- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा एस.सी.पी. श्रेणी में तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-1551.00 लाख के सापेक्ष अनुमन्य अनिवार्य राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि रू0-2613.97 में से रू0-1065.80 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-148/बजट/2023-24, दिनांक 15.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष ***2023-24*** में पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र ***सं***0-एफ.नं.***1-27/2023-***आर.के.वी.वाई.***/2*** दिनांक ***14.03.2024*** द्वारा एस.सी.पी. श्रेणी में तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू***0-1551.00*** लाख के सापेक्ष अनुमन्य अनिवार्य राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि रू***0-2613.97*** में से रू***0-1065.80*** लाख (रूपये दस करोड़ पैसठ लाख अस्सी हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

desh.up.gov.in

2. धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3. भारत सरकार के पत्र दिनांक-14.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

5. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो, इसका उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का होगा।

6. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का होगा।

10. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।

11. चूंकि वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि इनका उल्लंघन न हो।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।

https://sh

13. वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन करने तथा आंकड़ों एवं लेखाशीर्षक की पुष्टि का पूर्ण दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का होगा। प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की होगी।

14. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का उत्तरदायित्व होगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तद्विषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 10,51,69,000 (रुपये दस करोड़ इक्यावन लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2401007898909 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना मानक मद 27 सब्सिडी (2) रुपये 14,11,000 (रुपये चौदह लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2401007898909 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-716-X-2023-24- दिनांक: 22-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 12/2024/ 513(1)/58-2024 /1739047-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अनु सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanadesh